उत्तर प्रदेश शासन
अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-1
संख्या-72/2020/1292/52-1-2020-29(पी.एम.जे.वी.के.)/19टी.सी.
लखनऊ : दिनांक 08 अक्टूबर, 2020

संशोधन-आदेश

अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-1 उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या-69/2020/1196/बावन-1-2020-29(पी.एम.जे.वी.के.)/19टी.सी. दिनांक 17.09.2020 के प्रस्तर-1, प्रस्तर-2(2) एवं प्रतिलिपि के बिन्दु संख्या-7 में उल्लिखित **"उ0प्र0 श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि0, लखनऊ"** के स्थान पर **"उ0प्र0 राज्य निर्माण एवं श्रम विकास सहकारी संघ लि0 (यू0पी0सी0एल0डी0एफ0)"** पढा जाय ।

2– उपरोक्तानुसार उक्त शासनादेश संख्या-69/2020/1196/बावन-1-2020-29(पी.एम.जे.वी.के.)/19टी.सी. दिनांक 17.09.2020 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाये, शेष निर्देश एवं शर्ते यथावत रहेंगे ।

(रवि शंकर मिश्र)
उप सचिव ।

संख्या-1292(1)/बावन-1-2020-तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम एवं द्वितीय उ0प्र0, इलाहाबाद।
3- बजट अधिकारी, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
4- अवर सचिव, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय भारत सरकार 11वां तल, पर्यावरण भवन, सी0जी0ओ0 काम्पलेक्स लोधी रोड, नई दिल्ली।
5- प्रमुख सचिव, सम्बन्धित प्रशासकीय विभाग।
6- निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ।
7- निदेशक, सम्बन्धित विभाग ।
8- निदेशक/प्रबन्ध निदेशक, **उ0प्र0 राज्य निर्माण एवं श्रम विकास सहकारी संघ लि0।**
9- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
10- जिलाधिकारी/जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, **भदोही।**
11- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 एवं वित्त-ई-4।
12- लेखाधिकारी/वेब अधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त स्वीकृति अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
13- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(रवि शंकर मिश्र)
उप सचिव।

UO Gautam

http://shasanadesh.up.gov.in